राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

दिनांक 6-7 जुलाई, 1989

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की

क्रियान्विति पर

श्री दामोदर दास आचार्य

शिक्षा राज्य मंत्री

राजस्थान

का

वक्तव्य

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.........................
Date...............................

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मित्रों,

सर्वप्रथम मैं माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में आमन्त्रित कर राष्ट्रीय शिक्षा नोति को क्रियान्विति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है।

शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य को संवारने एवं समुन्नत करने का ऐसा अनुपम साधन है, जिसका कोई सानी नहीं। शिक्षा जन्म से मृत्युपर्यन्त सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन में कोई ऐसा बिन्दु या मुकाम नहीं है, जहाँ शिक्षा की महत्ता एवं उपयोगिता न हो।

आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें यह अत्यन्त महत्व-पूर्ण है कि शिक्षा का धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं लोकतन्त्र के प्रति वैचारिक स्तर पर आस्था विकसित हो सके और व्यवहारिक स्तर पर जीवन शैली का अंग बन जाये। जिन सिद्धान्तों एवं आदर्शों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्धारण किया गया है, उसके आधार पर यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि हम राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूर्ति करके काफी आगे बढ़ सकेंगे।

समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों में प्राथमिक शिक्षा का सार्व-जनीनकरण के उद्देश्य की प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में 6-11 आयुवर्ग में बालकों का नामांकन प्रतिशत 126·00 तथा बालिकाओं का नामांकन 63 प्रतिशत है तथा सम्मिलित नामांकन 95 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत क्रमशः 121 एवं 44 है तथा जनजाति के बालक-बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत क्रमशः 127 एवं 44 है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में बालिकाओं के नामांकन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना वांछित है।

वर्ष 1988-89 में राज्य में कुल 34·70 लाख बालक एवं 17·15 लाख बालिकाओं के नामांकन के विरुद्ध 35·17 लाख बालक एवं 16·35 लाख बालिकाओं को नामांकित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 99·4 लक्ष्य की प्राप्ति की गई।

11-14 आयुवर्ग में बालकों का नामांकन प्रतिशत 73 तथा बालिकाओं का 24 है तथा सम्मिलित नामांकन 49 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों का नामांकन प्रतिशत

क्रमशः 69 एवं 10 है जबकि बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत क्रमशः सिर्फ 9·5 एवं 10·3 ही है। इस आयुवर्ग में भी बालिकाओं के नामांकन के विशेष प्रयास अपेक्षित हैं।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कई कदम उठाये गये हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख करना उचित होगा।

राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल 5000 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध अब तक 3720 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके है तथा 3000 प्राथमिक विद्यालय इस वर्ष और खोले जायेंगे। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा 1720 प्राथमिक विद्यालय अधिक खोले जा सकेंगे।

इसी प्रकार सातवीं योजना अवधि में 1100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध अब तक 800 प्राथमिक विद्यालयों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। इस वर्ष 600 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा। इस प्रकार लक्ष्य की अपेक्षा 300 उच्च प्राथमिक विद्यालय अधिक होंगे।

ऐसे समस्त ग्राम एवं ढाणियां जिनकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में 250 तथा रेगिस्तानी एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 200 है ऐसी समस्त बस्तियों में सन् 1990 तक प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराया जाने का प्रयत्न जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं में शिक्षा प्रसार की दृष्टि से राज्य में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं यथा—

1. ग्रामीण क्षेत्र में 11000 बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर 50 रुपये वार्षिक के हिसाब से उपस्थिति छात्रवृति दी जाती है ।

2 जेसलमेर, जालोर एवं बाड़मेर जिलों में, जिनमें महिला साक्षरता 5 प्रतिशत से भी कम है, इनके ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 50 प्रतिशत बालिकाओं को 50 रु. प्रतिवर्ष के हिसाब से उपस्थिति छात्रवृति दी जा रही है ।

3. आपरेशन ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यूनतम दो अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान हैं जिनमें से यथा सम्भव एक महिला अध्यापिका होगी । इससे निश्चित रूप से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हो सकेगी ।

4. सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षण व्यवस्था शिक्षा ग्रहण करने से वंचित बालक-बालिकाओं की शिक्षण सुविधा हेतु 10032 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं जिसमें से 2530 केन्द्र विशुद्ध रूप से बालिकाओं के लिए ही हैं । इन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 3·20 लाख बालक-बालिकायें अध्ययन कर रही हैं । बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु बालक-बालिकाओं के केन्द्रों का अनुपात 50 : 50 किये जाने का प्रयास किया जा रहा हैं ।

राज्य में शिक्षाकर्मी की एक अभिनव प्रायोजना चलाई जा रही है । इस प्रयोजना के अन्तर्गत ऐसे दूरस्थ एवं कठिन स्थानों पर

जहाँ सामान्यत: अध्यापक जाने में हिचकिचाते हैं, वहाँ रात्रि में दो शिक्षा केन्द्र एवं दिन में तीन घंटे का अल्पावधि विद्यालय चलाया जाता है। वर्तमान में दस पंचायत समितियों में इस प्रायोजना की क्रियान्विति की जा रही है। इन केन्द्रों पर कुल 9676 बालक-बालिकायें लाभान्वित हो रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालक के शाला में निरन्तर बने रहने पर बल दिया गया है। अत: ऐसे प्रयास किये जाने हैं जिससे कि 14 वर्ष की उम्र तक बालक पांच वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करें। प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन तथा बालकों के निरन्तर शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से आपरेशन ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम का विशेष महत्व है।

राज्य में वर्ष 1988-89 तक 17198 प्राथमिक विद्यालयों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया हैं। राज्य की 237 पंचायत समितियों में से 141 पंचायत समितियों तथा 134 कस्बों एवं अन्य शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा चुका है।

चयनित क्षेत्र के 9816 एकल अध्यापकीय विद्यालयों को दो अध्यापकीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है। इन अध्यापकों की जून 1989 से मई 1990 तक के वेतन भुगतान हेतु 1413·50 लाख रुपयों का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 1987-88 में चयनित 12187 प्राथमिक विद्यालयों में 797·80 लाख रुपयों की न्यूनतम आवश्यक सामग्री एवं फर्नीचर

उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1988-89 में चयनित 5011 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 370·98 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जिनका उपयोग शीघ्र ही किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1711 प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण इकाई 3914 विद्यालयों में एक कक्षा कक्ष मय बरामदा, 496 विद्यालयों में एक टायलेट सेट तथा 15030 विद्यालयों में दो टायलेट सेट्स का निर्माण कराया जाना था। इसमें से 2146 विद्यालयों में भवन निर्माण का पूर्ण कार्य तथा 1936 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है।

नवें वित्त आयोग द्वारा 2413 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 19·36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष भवनों के निर्माण हेतु 22·62 करोड़ का विशेष प्रावधान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वांछनीय है।

23 पंचायत समितियों के 2444 प्राथमिक विद्यालयों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स् तैयार कर भारत सरकार को भिजवाई जा चुकी है। इन विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य नवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई 19·36 करोड़ की राशि में से कराया जाना प्रस्तावित है लेकिन शेष 18 प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा-कक्ष तथा 2409 विद्यालयों में टायलेट सेट्स का निर्माण कराये जाने हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना की दृष्टि से राज्य में जुलाई 1987 से 10+2 प्रणाली आरम्भ कर दी गई थी।

वर्ष 1988-89 में राज्य के राजकीय 672 एवं निजी 133 विद्यालयों को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया था। इस प्रकार राज्य में सभी राजकीय हायर सैकण्डरी विद्यालयों को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया था।

राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम के ढाँचे के अनुरूप उच्च प्राथमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाकर कक्षा 1, 3 एवं 6 की संशोधित पाठ्यपुस्तकें तैयार कर ली गई हैं तथा ये प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं। जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में अपेक्षित महत्व दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा भी राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों को परिवर्तित किया गया है।

राष्ट्रीय एकता की भावना को सम्पुष्ट करने की दृष्टि से त्रिभाषा फार्मूले की क्रियान्विति की जा रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक कक्षा में न्यूनतम 10 छात्रों के होने पर उर्दू/सिन्धी/गुजराती/पंजाबी भाषा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाये जाने की सुविधा है तथा माध्यमिक स्तर पर तमिल/तेलगू/मलयालम/कन्नड भाषाओं के तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन की सुविधा है।

राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा को जो महत्व दिया गया है उसे दृष्टि में रखते हुए राज्य में जमा दो स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ की गई है। अब तक राज्य में 75 विद्यालयों में व्यवसायिक

शिक्षा आरम्भ की गई है, तथा इन विद्यालयों में 14 व्यवसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

व्यवसायिक शिक्षा को गतिशीलता प्रदान करने की दृष्टि से "स्टेट कौंसिल ऑफ वोकेशनल एज्यूकेशन" के गठन को कार्यवाही की जा रही है। सेवा भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रारूप तैयार किये जाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया हैं ताकि व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त युवकों को राजकीय एवं स्वायतशासी निगमों की सेवाओं में लिया जाना सम्भव हो सके।

विश्वविद्यालयों के अकादमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इस प्रकार के संशोधन की कार्यवाही की जा रही हैं जिससे कि जमा दो स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को उसमें प्रवेश दिया जा सके।

राज्य में 78 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 3·05 लाख रुपये गत दो वर्षों में स्वीकृत किये गये हैं। अब तक 235 अध्यापकों को क्लास प्रोजेक्टस (CLASS PROJECT) में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

केन्द्र सरकार द्वारा 1100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रंगीन टी० वी० सेट्स दिये जाने हेतु 53·62 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 8813 प्राथमिक विद्यालयों तथा 1937 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रेडियो कम कैसेट प्लेयर दिये जाने हेतु 60 लाख रुपये दिये गये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जो राशि दी गई है वह प्रति सैट 6500 रुपये के हिसाब में दी गई है जिसमें 25% राज्य

सरकार द्वारा दिया जाना है तथा रेडियो कम कैसेट प्लेयर के लिए प्रति सैट 600/– रु० के हिसाब से राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि इतनी कम हैं कि उपयुक्त स्तर के सैट क्रय करना इस सीमा राशि में सम्भव नहीं है तथा राज्य सरकार की वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के सन्दर्भ में टी० वी० सैट की शेष 25% की राशि दिया जाना भी राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

राज्य में कुल 20 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। चार जिलो हेतु प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं तथा शेष तीन जिलों के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव भिजवाये जायेंगे।

भारत एवं पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्य के चार जिलों की तेरह पंचायत समितियों में शैक्षिक विकास हेतु सीमान्त क्षेत्रीय शैक्षिक विकास का विशद् कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय से सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर तक के विद्यालयों में कक्षा कक्षों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण एवं इन विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन सामग्री एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजनानुसार भवन निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 50 अध्यापक आवास गृहों का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वर्ष 1987-88 ~~एवं 1988-89~~ में कुल 829·47 रु. लाख स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से रु. 444·80 लाख व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1988-89 में कल

1004·77 लाख की प्रायोजनायें स्वीकृत की गई थी जिसमें से राज्य सरकार को प्रथम किश्त के रूप में 248·91 रु. प्राप्त हुए हैं ।

राज्य में अब तक कुल 18 डाइट्स की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं । शेष 9 जिलों के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्टस तैयार कर ली गई है । इसके अतिरिक्त राज्य में दो राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महा-विद्यालयों को इन्सटीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडोज (IASEs) के रूप में तथा एक निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर को कालेज आफ टीचर एज्यूकेशन (सी. टी. ई.) के रूप में क्रमोन्नत किया गया है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप अब तक कुल 89700 अध्यापकों को अभिनव प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

राज्य में 19344 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 5·83 लाख प्रौढ़ लाभान्वित हो रहे हैं । जिनमें से 3·06 लाख पुरुष एवं 2·77 लाख महिलायें हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 6·34 लाख प्रौढ़ों की साक्षर किये जाने का लक्ष्य हैं । टेक्नोलाजी मिशन की अनुशंषाओं के अनुरूप इस कार्यक्रम को व्यापक आधार पर चलाये जाने हेतु एन० सी० सी० केडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता, विद्यालयों के विद्यार्थियों आदि के सहयोग से भी प्रौढ़ों को साक्षर करने का विशद कार्यक्रन है ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोटा खुले विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों की संख्या दो से बढ़ाकर चार की गई तथा विभिन्न जिलों में

12 अध्ययन केन्द्र खोले गये। भीलवाड़ा एवं अलवर के महाविद्यालयों को स्वायतशासी महाविद्यालय बनाया गया। इस प्रकार राज्य में अब तक कुल छः महाविद्यालयों को स्वायतशासी बनाया जा चुका है।

इस वर्ष महाविद्यालयों में 10 नये विषय खोले जाने का प्रस्ताव है। करौली एवं सिरोही महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान विषय आरम्भ किया जायेगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय में एन्थ्रोपोलॉजी में पं० गोविन्द वल्लभ पन्त पीठ स्थापित किया जायेगा।

वर्ष 1988-89 में दस नई आई० टी० आई० संस्थायें खोली गई जिसमें से चार लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के बालकों को कुशल कारीगर बनाने तथा स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने हेतु 10 मिनी आई० टी० आई० केवल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ही खोले गये।

इस वर्ष 10 नये आई० टी० आई० एवं तीन मिनी आई० टी० आई० खोलने के प्रस्ताव हैं।

सीमान्त क्षेत्रीय शैक्षिक विकास योजना के अन्तर्गत बाडमेर में एक पालीटेक्नीक प्रारम्भ किया गया हैं तथा सीमान्त क्षेत्रीय जिलों जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर आई० टी० आईज० में 11 नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये।

जयपुर स्थित खाद्य कला संस्थान को क्रमोन्नत करके डिप्लोमा स्तरीय संस्थान किया गया एवं उदयपुर में एक खाद्य कला संस्थान शुरू किये जाने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

वर्ष 1988-89 में राज्य में छः नये पालीटेक्नीक चालू किये गये जिसमें से दो लड़कियों के लिए हैं ।

गत वर्ष मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर, में आर्किटेक्चरल तथा केमीकल इंजीनियरिंग के नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये ।

शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए राजस्थान प्रदेश के लिए देश के अन्य राज्यों के समकक्ष लाये जाने हेतु विशिष्ट एवं प्रभावी कदम उठाये जाने अपेक्षित हैं लेकिन राज्य की विषम आर्थिक स्थितियों के कारण राज्य के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं । अतः केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को विशेष अनुदान दिया जाना वांछनीय है । इस संबंध में, मैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूँगा ।

अन्त में, मैं, यह कहना चाहूँगा कि चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ हों, लेकिन केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश एवं सहभागिता से राज्य सरकार उन आशाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकेगी, जो अपेक्षित हैं ।

सधन्यवाद ।

———